

राजस्थान सरकार  
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग  
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(7475)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18/00337/2021 जयपुर, दिनांक 22-01-2021

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	मेरिट नं./बैच	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	3457 (2013)	श्री जितेन्द्र कुमार मीणा, सहायक प्रोग्रामर	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति- सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर।	1. <b>NIELIT – SCIENTIST – B</b> 2. <b>DSSSB - TGT COMPUTER SCIENCE</b> 3. <b>RRB – NTPC GRADUATE</b>
2.	812 (2013)	श्री विश्वास पाठक, सूचना सहायक	राजस्थान स्टेट वेवरेजेज, कारपोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय जयपुर।	1. <b>RRB – NTPC</b> 2. <b>SSC – CGL 2020-21</b>
3.	1043 (2013)	श्री विकास प्रजापत, सूचना सहायक	कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़ (अजमेर)।	1. <b>RPSC – ACF AND FOREST RANGE OFFICER Gr-I 2018</b>
4.	2340 (2013)	श्री विश्वजीत, सूचना सहायक	आयोजना (समन्वय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	1. <b>RPSC – ASST. PROF. (COLLEGE EDUCATION)- 2020 (BUSINESS ADMINISTRATION)</b> 2. <b>NTA UGC NET 2021</b> 3. <b>RSMSSB – वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020</b>
5.	4343 (2013)	श्री योगेश मीणा, सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक मुख्यालय सिरोंही।	1. <b>RRB – NTPC (ASSISTANT STATION MASTER)</b>
6.	New IA 2018	श्री वैभव कसाना, सूचना सहायक	कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बून्दी।	1. <b>RPSC – ACF AND FOREST RANGE OFFICER Gr-I 2018</b>
7.	New IA 2018	सुश्री वन्दना शर्मा, सूचना सहायक	वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	1. <b>RPSC – ACF AND FOREST RANGE OFFICER Gr-I 2018</b>

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. परीक्षा की स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य, सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारण वश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— sct —

(दिवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)

एवं प्रभागे अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)